राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः -प.5(3)नविवि / 3 / 99 पार्ट जयपुर, दिनांकः 21 JUL 2011

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4.10.2002 के बिन्दु संख्या 5 एवं आदेश दिनांक 21.7.2003 एवं टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के संबंध में जारी अधिसूचना प.3(77)नविवि / 3 / 2010 दि. 28.6.2010 द्वारा फार्म हाउसेज की भूमियों के नियमन / आवंटन के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। किन्तु पूर्व में कृषि भूमि के फार्म हाउस प्रयोजनार्थ रूपान्तरित कराये जाने के पश्चात् उक्त फार्म हाउस का निर्माण करने की समयावधि निर्धारित नहीं की गई थी। इस कारण कई व्यक्तियों द्वारा अब तक फार्म हाउस निर्मित कर विकास कार्य नहीं किये गये हैं। अतः सुनियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी किए जा चुके पट्टाविलेख व भविष्य में जारी होने वाले पट्टाविलेख (लीजडीड) के संबंध में यह शर्त आवश्यक रूप से अंकित की जावे कि ले–आउट प्लान स्वीकृति के 5 वर्ष की अवधि में फार्म हाउस विकसित किया जाना आवश्यक होगा। उक्त 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा भू–उपयोग परिवर्तन मान्य नहीं होगा। उक्त स्वतः निरस्तीकरण के पश्चात् आवेदक यदि चाहे तो फार्म हाउस के लिए पुनः आवेदन संबंधित निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. समस्त जिला कलक्टर................. (राजस्थान)।
7. उप शासन सचिव प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
9. सचिव, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
11. सचिव, नगर सुधार न्यास.............. (समस्त)
12. रक्षित पत्रावली।

(एन.एल.मीना)
शासन उप सचिव–तृतीय